राजस्व लोक अदालत केम्प रिछोली तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस 2018/01530

मुकदमा न0 157/2018

वादीगण :– 1. सफी मोहम्मद वल्द खाजू जाति मुसलमान निवासी रिछोली

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. खमीश खां वल्द खाजू खां
2.नेफू खां वल्द खाजू खां
3.तहसीलदार पचपदरा जरिये राजस्थान सरकार

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांकः–16.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत रिछोली प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम रिछोली के खसरा न0 13, 297, 321, 390/88, 392/88, 309, 301, 168, 234 मे वादी का नाम सफी मोहम्मद वल्द खाजू खां की बजाय शरीक खां वल्द खाजू खां दर्ज कर दिया है। अतः अशुद्व नाम शरीक खां वल्द खाजू खां की जगह शुद्व नाम सफी मोहम्मद वल्द खाजू खां करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादीगण द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत रिछौली के गवाह ब्यान व पटवारी रिछोली/आर.आई पाटोदी की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम रिछोली के खसरा न0 13, 297, 321, 390/88, 392/88, 309, 301, 168, 234 में वादी का अशुद्व नाम शरीक खां वल्द खाजू खां की जगह शुद्व नाम सफी मोहम्मद वल्द खाजू खां करने की सिफारिश की है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है वादी शरीक खां वल्द खाजू खां की जगह शुद्व नाम सफी मोहम्मद वल्द खाजू खां नाम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं सदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...........

Scanned by CamScanner